(21)

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES | 20रु. कोर्ट फीस COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES | 5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय :— माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

पुनर्विलोकन — 6370/2018/कटनी/भू.रा.

प्र.क. /2018 रिव्यू

रामबली पुत्र बुलाकी कोल निवासी ग्राम अजमाइन तहसील व जिला सतना म.प्र.

——— आवेदक

श्री Satyendra Singh Dhakar द्वारा आज दि0 29-11-18 को Ad. प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 30-11-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट 29/11/18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

बनाम

म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर जिला कटनी

——— अनावेदक

Thakur
सत्येन्द्र सिंह धाकड़ Ad.
ग्वालियर
29.11.18

रिव्यू अन्तर्गत धारा 51 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 न्यायालय मान. राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर के प्र.क. निगरानी/5232/2018 में पारित आदेश दिनांक 28.09.2018 के विरुद्ध रिव्यू प्रस्तुत।

मान्यवर,

आवेदक की ओर से रिव्यू निम्न प्रकार पेश है :—

29-11-18

1. यह कि, माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 28.09.2018 में पारित आदेश में आंशिक संशोधन किये जाने योग्य है।

2. यह कि, आवेदक रामबली पुत्र बुलाकी कोल निवासी ग्राम अजमाइन तहसील व जिला सतना कृषक झिझरी जिला कलेक्टर कटनी के समक्ष इस आ''ाय का आवेदन पत्र पे''ा किया कि, आवेदक के स्वत्व स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि ग्राम झिझंरी पटवारी हल्का नं. 29 राजस्प निरीक्षक मण्डल मुडवारा 2 तहसील

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ
प्रकरण क्रमांक : पुनरावलोकन / कटनी / भू.रा. / 2018 / 6370

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों ए आदि के ह
9-1-19	राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर व्दारा प्र0क्र0 निगरानी 5232 / 2018 / कटनी / भू.रा. में पारित आदेश दिनांक 28–9–18 पर से प्रस्तुत पुनरावलोकन आवेदन के तथ्यों पर आवेदक के अभिभाषक के प्रारभिक तर्क सुने गये। उन्होंने बताया कि अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर व्दारा प्रकरण क्रमांक 447 / 17–18 अपील में पारित आदेश दिनांक 24–5–18 से ग्राम झिझरी की भूमि सर्वे क्रमांक 382 / 1 रकबा 0.44 हैक्टर एंव सर्वे क्रमांक 382 / 2 रकबा 0.58 है. कुल रकबा 1.02 हैक्टर के विक्रय की अनुमति दी गई है किन्तु इस विक्रय अनुमति में यह शर्त डाल दी गई थी कि विक्रय पत्र निष्पादन के पूर्व विक्रेता ग्राम पडरेही के खसरा नंबर 2 रकबा 1.94 है. भूमि क्रय करने के वाद भी ग्राम झिझरी की भूमि सर्वे क्रमांक 382 / 1 रकबा 0.44 हैक्टर एंव सर्वे क्रमांक 382 / 2 रकबा 0.58 है. कुल रकबा 1.02 हैक्टर का विक्रय पत्र निष्पादित करेगा। इस आदेश के विरूद्व आवेदक ने राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर में निगरानी प्रस्तुत की। निगरानी में पारित आदेश दिनांक 28–9–18 से शर्त विलोपित कर दी गई। पुनरावलोकन आवेदन में अतिरिक्त मांग रखी है कि राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर व्दारा पारित आदेश दिनांक 28–9–18 यथावत् रखा जावे किन्तु इस आदेश में यह सुधार किया जावे कि विक्रय प्रतिफल के बदले भूमि सर्वे क्रमांक 1445 / 1 रकबा 0.13 है. एंव सर्वे क्रमांक 1444 / 2 रकबा 0.02 हैक्टर कुल रकबा 0.15 हैक्टर समान मूल्य की होने से आवेदक के खर्चे पर दिये जाने के आदेश दिये जावें। 2 / आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव पुनरावलोकन आवेदन में अंकित तथ्यों के अवलोकन से परिलक्षित है कि	

आवेदक व्दारा ग्राम झिझरी की भूमि सर्वे कमांक 382 / 1 रकबा 0.44 हैक्टर एंव सर्वे कमांक 382 / 2 रकबा 0.58 है. कुल रकबा 1.02 हैक्टर के विकय की अनुमति मांगी गई है जिसमें इस प्रकार की कोई शर्त मूल न्यायालय में विचारित नहीं है एंव ऐसी कोई शर्त अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के समक्ष प्रकरण कमांक 447 / 17—18 अपील में विचार करते समय प्रस्तुत नहीं की गई है। संहिता की धारा 51 के अनुसार पुनरावलोकन आवेदन के माध्यम से आदेश दिनांक 28—9—18 में निम्न तथ्यों का समावेश होने पर ही विचार करना संभव है :—

1. किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक तत्परता के पश्चात् भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके व्दारा पेश नहीं की जा सकती थी, या,
2. मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती,
3. कोई अन्य पर्याप्त कारण ।

आवेदक के अभिभाषक पुनरावलोकन आवेदन में नवीन तथ्यों का समावेश करके भूमि विनिमय स्वरूप के तथ्य को जोड़कर आदेश दिनांक 28—9—18 में सॅशोधन चाहते हैं जिसके कारण पुनरावलोकन आवेदन विचार योग्य न होने से अमान्य किया है।

सदस्य